

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :-

तारीख 31.5.18

01. जयलाल पिता भगवान जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. रमेशचन्द्र पिता धुला जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. पुष्पा पत्नि शंकर जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. धन्ना पिता देवा जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. गोपाल पिता भंवरलाल जाति पाराशर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 11.6.18

प्रार्थना पत्र जयलाल पिता भगवान जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी संख्या 169/2 रकबा 3-03 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 184 पर अंकित आराजी संख्या 169/2 रकबा 3-03 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ